M.P. CIVIL JUDGE CLASS-2 (ENTRY LEVEL) MAIN EXAM -2019 (Phase-II)

अनुक्रमांक/Roll No.			
		t .	1

Total No. of Questions : 18 कुल प्रश्नों की संख्या : 18

No. of Printed Pages: 4

नों की संख्या : 18 मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4 LOCAL LAWS, CRIMINAL LAWS & PROCEDURE

Third Question Paper तृतीय प्रश्न-पत्र

स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया

समय — 3:00 घण्टे Time Allowed – 3:00 Hours

मान्य होगा।

पूर्णीक — 100

Maximum Marks - 100

निर्देश :-Instructions :-

- 1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

 सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ
- 2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of own or any Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ट पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता / मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

8

8

4

M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

1. Under what circumstances does an appeal lie against the order of Rent controlling authority? Explain the provision related to second appeal.

भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील किन परिस्थितियों में प्रस्तुत की जा सकेगी ? द्वितीय अपील से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करें।

2. Is there any provision in the M.P. Accommodation Control 4 Act, 1961 for letting an accommodation for a limited period? If so, explain the relevant provision.

क्या म. प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 में सीमित समय के लिए भवन किराये पर दिए जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ तो सुसंगत प्रावधान को स्पष्ट कीजिए।

3. Explain the special obligations of landlords with respect to 4 tenanted premises.

किराएदारी परिसर के संदर्भ में भू-स्वामियों की विशेष बाध्यताओं का वर्णन करें?

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959 म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959

4. How *Nistar Patrak* is prepared? What are the matters which shall be provided for in the *Nistar Patrak*?

निस्तार पत्रक कैसे तैयार किया जाता है? निस्तार पत्रक में किन विषयों के संबंध में उपबंध किया जावेगा?

5. What is meant by "Improvement" with reference to a holding? What is included in "Improvement" and what is not included in "Improvement".

किसी खाते के संदर्भ में "सुधार" से क्या अभिप्राय है? "सुधार" में क्या—क्या शामिल है और क्या—क्या शामिल नहीं है?

6. What is the procedure for diversion of Land? When can an applicant presume that the permission is granted? When is permission for diversion not required?

भूमि के व्यपवर्तन की क्या प्रक्रिया है? एक आवेदक कब अनुमित दिए जाने की उपधारणा कर सकेगा ? कब व्यपवर्तन के लिए अनुमित आवश्यक नहीं है ?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

- 7. When and to what extent is evidence of character relevant and admissible in Civil and criminal proceedings? Is a previous conviction relevant against the accused? if yes, then when? सिविल एवं आपराधिक कार्यवाहियों में शील की साक्ष्य कब और किस सीमा तक सुसंगत एवं ग्राह्य है? क्या कोई पूर्व दोषसिद्धि अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक विचारण में सुसंगत है? यदि हाँ, तो कब?
- 8. Describe Judge's Power to put questions or order production of any document or thing under section 165 of the Indian Evidence Act, 1872?

 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 के अंतर्गत प्रश्न करने या दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का वर्णन कीजिए।
- 9. When & how may a witness refresh his memory? Explain 4 referring to case laws.

 एक साक्षी अपनी "स्मृति" कब और कैसे ताजा कर सकता है? न्यायदृष्टान्तों का संदर्भ देते हुए स्पष्ट करें?

<u>INDIAN PENAL CODE, 1860</u> भारतीय दण्ड संहिता, 1860

- 10. Explain 'preparation to commit crime' and 'attempt to 8 commit crime', and point out the distinction between them.
 'अपराध कारित करने की तैयारी' और 'अपराध कारित करने का प्रयास' की व्याख्या करें और उनके मध्य अंतर को इगिंत कीजिए।
- 11. Define criminal force, hurt and grievous hurt ? 4
 आपराधिक बल, उपहति एवं घोर उपहति की परिभाषा दीजिए ?
- 12. What is "Forgery". When is a person said to have made a false document?

 "कूट रचना" क्या है? कब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने मिथ्या दस्तावेज की रचना की है?

<u>CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973</u> दण्ड प्रक्रिया संहिता. 1973

13. For what offences/ or accused persons, Plea Bargaining under Chapter XXI-A of Code of Criminal Procedure, 1973 is applicable?

Describe the guidelines provided under Section 265C of Code of Criminal Procedure for mutually satisfactory disposition of Criminal cases on the basis of Plea Bargaining. सौदा अभिवाक् से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय 21-क कौन से अपराधों या अभियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है ? दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 265ग के अंतर्गत सौदा अभिवाक के अंतर्गत दाण्डिक प्रकरणों के पारस्परिक संतोषप्रद निराकरण के लिए दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। Distinguish between cognizable and non-cognizable offence. संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध में विभेद कीजिए। Describe the Powers of Criminal Courts to inflict punishments? दाण्डिक न्यायालयों की दण्डादेश अधिरोपित करने संबंधी शक्तियों का वर्णन कीजिए। **NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 Explain the Law relating to cognizance of offence under 4 Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध के संज्ञान संबंधी विधि समझाइये। Discuss in brief, how recording of evidence in N.I. Act cases 4 differs from Criminal cases registered upon complaint. परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अभिलिखित की जाने वाली साक्ष्य एवं परिवाद पर संस्थित् अन्य आपराधिक प्रकरणों में ली जाने वाली साक्ष्य के मध्य अन्तर की संक्षेप में व्याख्या करें। Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : -Withdrawal from prosecution 4 "अभियोजन का वापस लिया जाना"

4

4

4

14.

15.

16.

17.

18.

(A)

(अ)

(B)

(ब)

(C)

(स)

Cancellation of bail

जमानत का रदद्करण

"साबित", "नासाबित" एवं "साबित नहीं हुआ" को परिभाषित कीजिए।

Define "proved", "disproved" and "not proved".